न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11 / 2019

प्रविष्टि दिनांक 09.04.2019

हिंगलाज सिंह पुत्र श्री प्रभूदान सिंह जाति चारण निवासी धांधोली हाल निवासी देवली जिला टोंक (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. राजकुमार पुत्र करणीदान सिंह जाति चारण, निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. मोहनलाल सैनी, तत्कालीन प्रशासक / ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत संथली, हाल निवासी राजमहल जिला टोंक राज.।
3. ग्राम पंचायत संथली जरिये सरपंच / सचिव,

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व पट्टा आदेश दिनांक 03.10.1992 ग्राम पंचायत संथली, अपील राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत

उपस्थिति : (1) श्री संजय जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 13.08.2024

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलांट का आवासीय मकान ग्राम धांधोली ग्राम पंचायत पौल्याडा पंचायत समिति देवली जिला टोंक राज. में स्थित है, अपीलांट के पडौसी व रिश्तेदार करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह ने अपीलांट के मकान के सामने स्थित अपीलांट की भूमि (कुल क्षेत्रफल 68.21 वर्गमीटर) का अपने नाम से दिनांक 03.10.1992 को ग्राम पंचायत संथली से आबादी भूमि का पट्टा बनवा लिया था। अपीलांट ने उक्त पट्टे को विधि विरूद्व एवं अवैधानिक बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस रेस्पोडेण्ट्स की गई तथा पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत संथली ने पत्र कमांक 130 दिनांक 08.12.2020 से अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत के वर्ष 1992–1993 के रिकार्ड मे पट्टे से संबंधित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स को बहस हेतु अवसर दिए जाने के बावजूद भी अभिभाषक रेस्पोडेन्टस व स्वयं रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टा आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौके की एवं कब्जे की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई है। उक्त पट्टे पर कहीं पर भी क्रमांक संख्या, मिसल संख्या, पट्टा नम्बर, डिस्पेच नम्बर आदि अंकित नहीं है। जो पट्टा जारी किया गया है, उस पर स्पष्ट अंकित हैं कि उक्त पट्टा केवल मात्र अनुसूचित, जाति, जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन का प्रपत्र है जबकि करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह इस श्रेणी में नहीं आता है। उक्त भूमि पर अपीलांट अपने कृषि यंत्र रखने आने जाने एवं शादी समारोह में उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है जिस पर करणीदान सिंह या किसी अन्य को कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट ने दिनांक 07.07.2017 को विकास अधिकारी,पंचायत समिति देबली के कार्यालय में उक्त पट्टे की जांच करने को लेकर एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर उक्त कार्यालय द्वारा जांच करवाई गई जिसमें ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उक्त पट्टे सम्बन्धित कोई दस्तावेजात नहीं होना पाया गया। ग्राम पंचायत पोल्याडा में दिनांक 08.06.2017 को आयोजित राजस्व शिविर में रेस्पोडेण्ट सं. 1 राजकुमार सिंह ने अपने आवासीय मकान का पट्टा बनवाने के लिए दस्तावेज के रूप में उक्त भूमि को आम रास्ता घोषित करवाने के लिए उक्त फर्जी पट्टे को उपयोग में लेने पर अपीलांट को उक्त पट्टे की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने उक्त अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत संथली जिला टोंक द्वारा दिनांक 03.10.1992 को जारी किये गये पट्टा बहक करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह को निरस्त किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली व ग्राम पंचायत संथली द्वारा जारी पट्टे तथा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह ने अपीलांट के मकान के सामने स्थित भूमि (कुल क्षेत्रफल 68.21 वर्गमीटर) का अपने नाम से दिनांक 03.10.1992 को ग्राम पंचायत संथली से आबादी भूमि का पट्टा बनवा लिया था। उक्त पट्टे को फर्जी बताते हुए उक्त अपील पेश की गई है परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त पट्टे के फर्जी एवं अवैधानिक होने के संबंध मे किसी तरह का साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा भूमि का मालिक होने से संबंधित कोई दस्तावेजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत संथली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा दिनांक 03.10.1992 को जारी किया गया था जिसे निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील लगभग 27 वर्षों बाद पेश की गई है जो कि अपील की मियाद से पूर्णतया बाहर है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई इस देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में बताये गये कारण निराधार है एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उक्त पट्टा विधि विरूद्ध सिद्ध होता हो। ग्राम पंचायत संथली द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पिता करणीदान सिंह के कब्जे के आधार पर जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत संथली द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.10.1992 द्वारा करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह के पक्ष में जारी किया गया पट्टा (कुल क्षेत्रफल 68.21 वर्गमीटर) में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत संथली द्वारा दिनांक 03.10.1992 को करणीदान सिंह पुत्र देवीदान सिंह के पक्ष में जारी किया गया आवासीय भूखण्ड का पट्टा (कुल क्षेत्रफल 68.21 वर्गमीटर) यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक